रंगीन फोटोग्राफ अपलोड करने से संबंधित के.रो.सू.सं. 02/2018 के अंतर्गत प्रकाशित पैरा 15.1 (ट)

ट. रंगीन फोटोग्राफ अपलोड करना : अपलोड फोटो टेब को सलेक्ट करें और अपना रंगीन फोटो अपलोड करें। रंगीन फोटोग्राफ निम्नलिखित आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिएः–

- रंगीन फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए।
- फोटोग्राफ का साइज 35 एमएम **X** 45 एमएम होना चाहिए और इस पर नाम और तिथि मुद्रित किया होना चाहिए।
- यह जेपीजी/जेपीईजी फार्मेट में होना चाहिए और 100डीपीआई में स्कैन किया हुआ होना चाहिए।
- फोटोग्राफ का साइज 20–50 केबी होना चाहिए।
- रंगीन फोटोग्राफ किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में 01.12.2017 को या इसके बाद का खींचा हुआ होना चाहिए। मोबाइल से खींचा गया फोटोग्राफ और स्वयं के द्वारा बनाया गया प्रोट्रेट के मामले में आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- फोटो में उम्मीदवार का बिना किसी टोपी या सनग्लासेस का स्पष्ट फ्रंट व्यू होना चाहिए।
- कैमरा में देखते हुए पूरे चेहरे के व्यू के साथ फोटोग्राफ का कम से कम 50 प्रतिशत भाग चेहरे से कवर होना चाहिए।
- चेहरे के मुख्य फीचर्स सिर के बाल या किसी कपड़े या परछाई से ढके नहीं होनी चाहिए।
- माथा, आंखें, नाक और ठोड़ी स्पष्ट नजर आना चाहिए।
- यदि उम्मीदवार को चश्मा लगा हुआ है तो फोटोग्राफ में शीशों पर कोई ग्लेयर नहीं होना चाहिए।
- फोटोग्राफ सीबीटी , पीइटी , दस्तावेज सत्यापन वाले दिनों पर उम्मीदवार की आकत्रति से मैच होना चाहिए।
- उपरोक्त बताए स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही दिव्यांग उम्मीदवार पासपोर्ट फोटोग्रापफ अपलोड करना चाहिए न कि दिव्यांग प्रमाण पत्र में उपयोग पूरे शरीर का फोटोग्राफ ।